डालूराम – मातादीन 9/12

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4.4.18	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। नक्शे 1,2,8 व 9,11,16 व 22,26,28 के कि रात्रि 7.00 पेश की पेश होने पर गयी थी वादी तरफ की [illegible] को पेश की जाये। तब तक स्थगित आज्ञा [illegible]	
18-6-18	बार-बार आदेश देने के बाद कमीशनर एवं कमीशनर के वकील कोई हाजिर नहीं आये। [illegible] हाजरी एवं [illegible] बाबत होने से [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी पुनः
प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official